दैनिक समसामयिकी (Daily Current Affairs)
3 December 2020

by - Varun Pachauri

Subscribe to Unacademy Plus

For 10% OFF Use Code

CIVILHINDIPEDIA

Unacademy Learning App

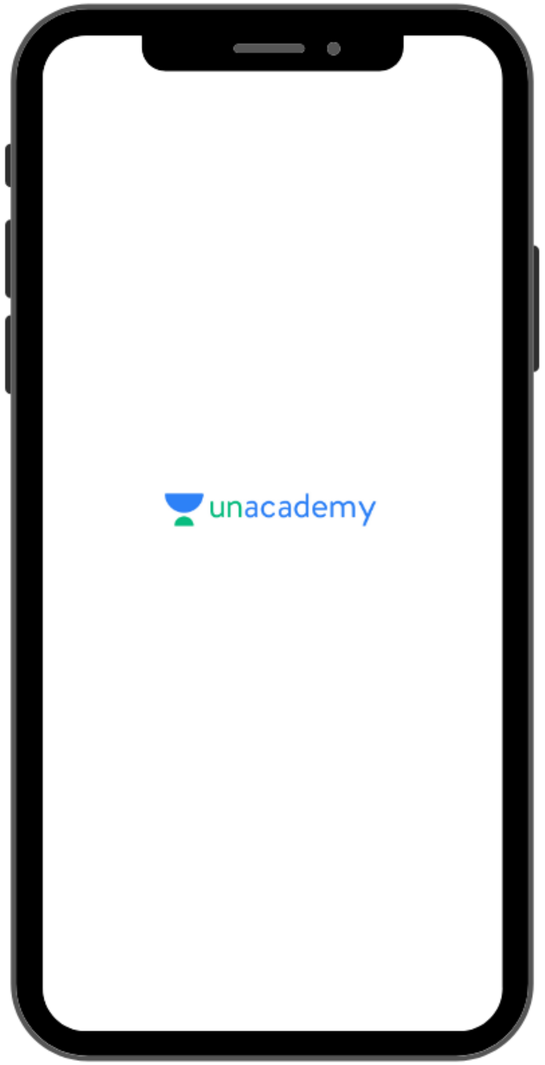

- Structured Batches with Top Educators
- Batches in Hindi, English and Bilingual
- Late night as well as 2 year batches
- 100% syllabus coverage
- Vast range of Optionals
- Prelims Test series with evaluation
- Mains Test Series with evaluation
- Dedicated Doubt Clearing Classes
- Daily Current Affairs Practice
- Essay & Answer Writing Practise
- Performance Analysis
- Sectional Quizzes
- Interview Preparation

Plus UPSC CSE Subscription

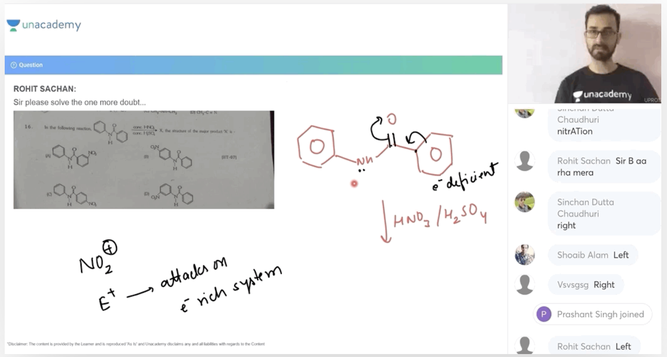

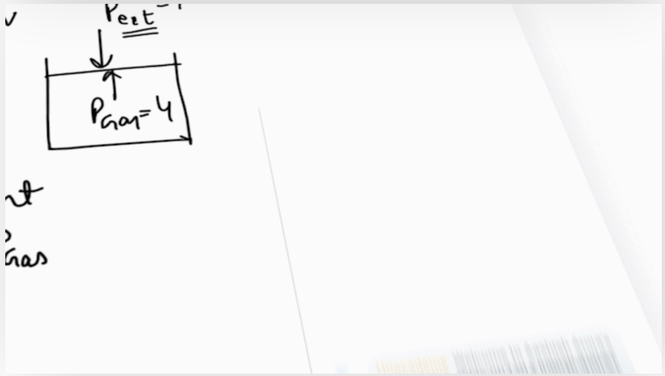

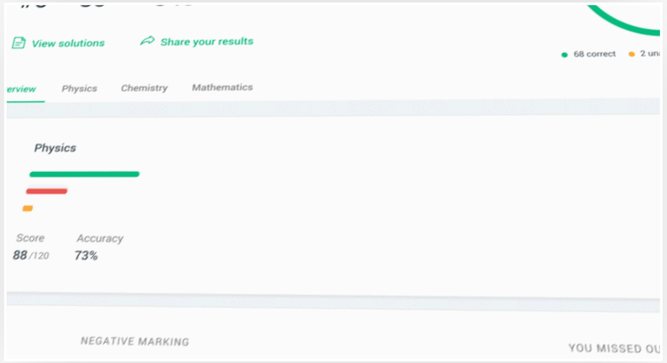

- LIVE Class Environment
- LIVE Polls & Leaderboard
- LIVE Doubt Solving
- LIVE Interaction

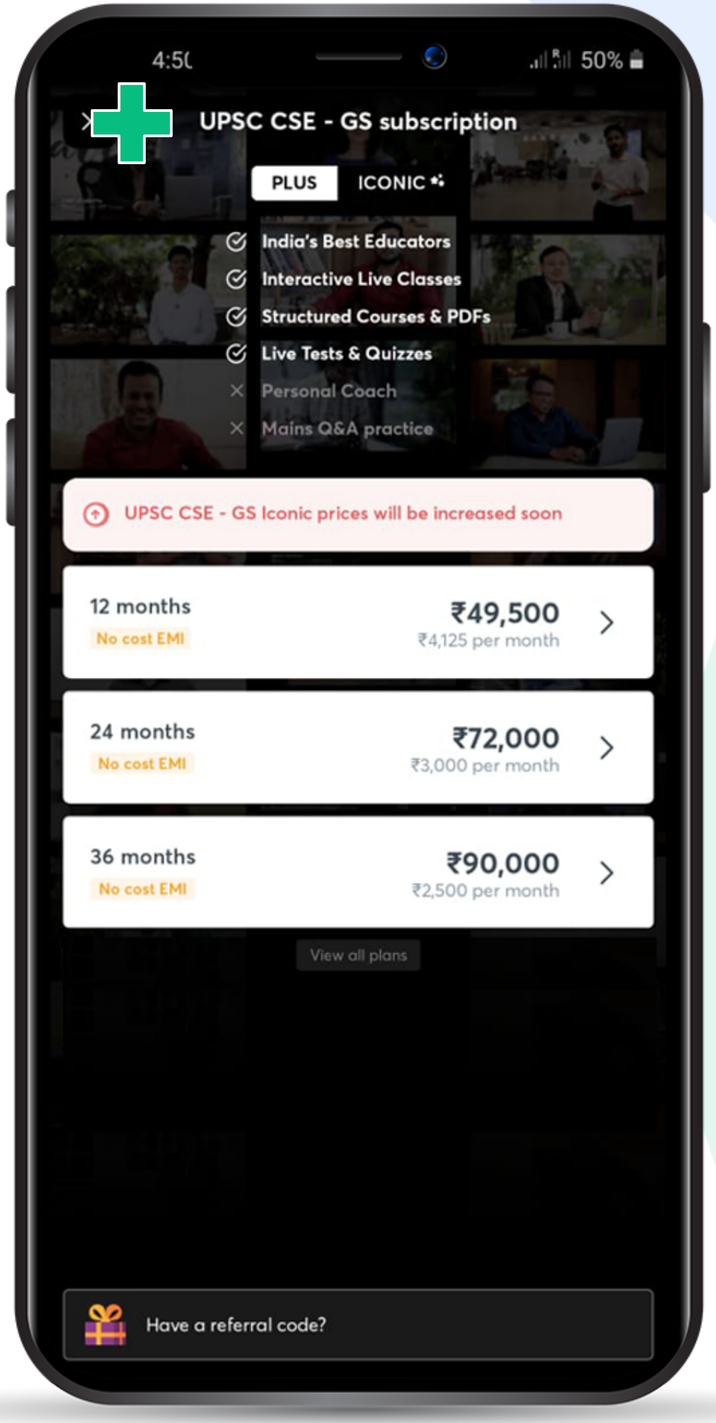

Iconic UPSC CSE Subscription

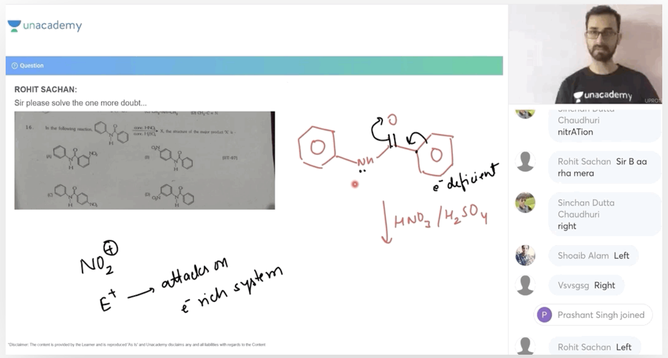

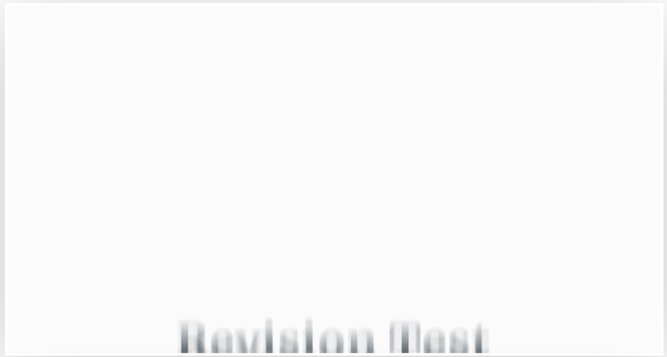

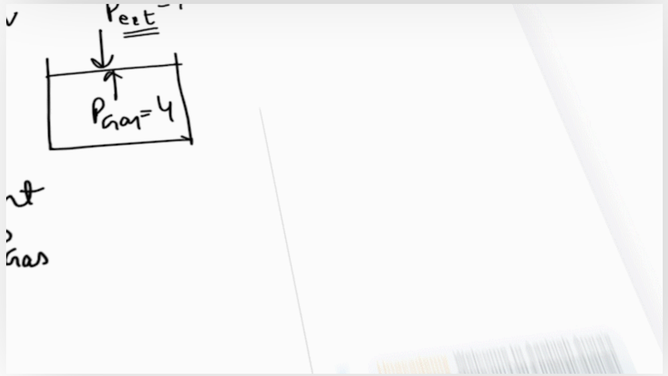

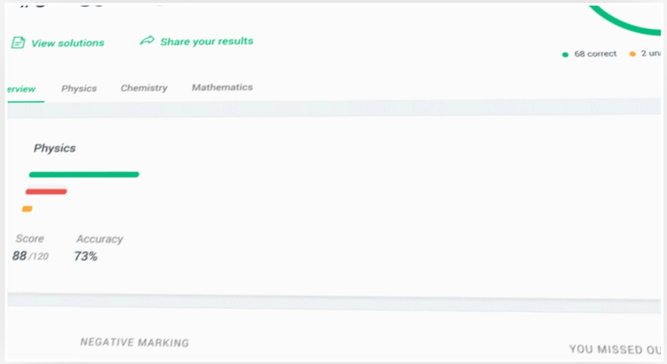

- Personal Coach
- LIVE Class Environment
- LIVE Polls & Leaderboard
- LIVE Doubt Solving
- LIVE Interaction

Get Subscription Now

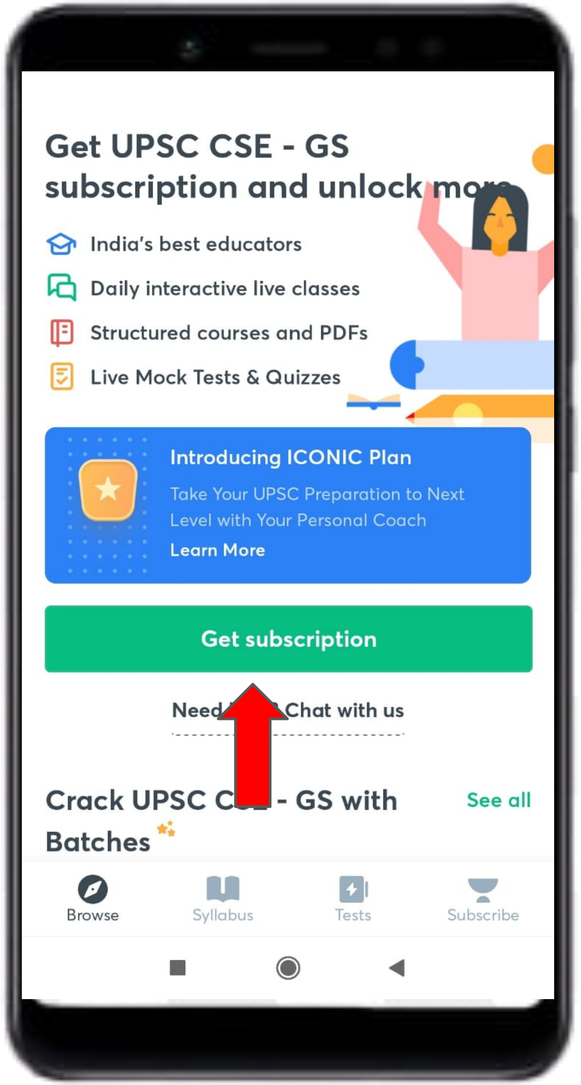

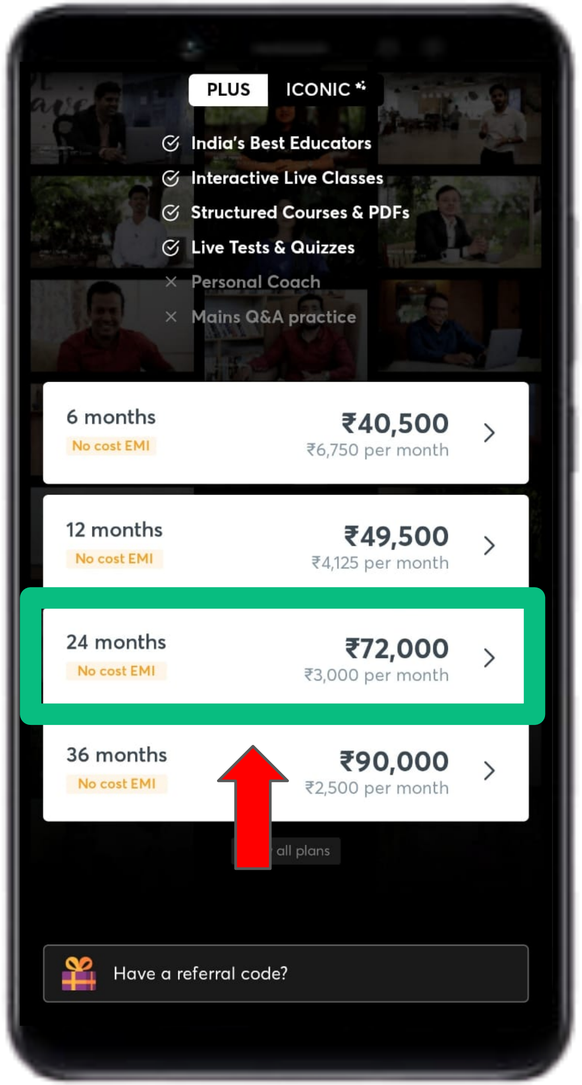

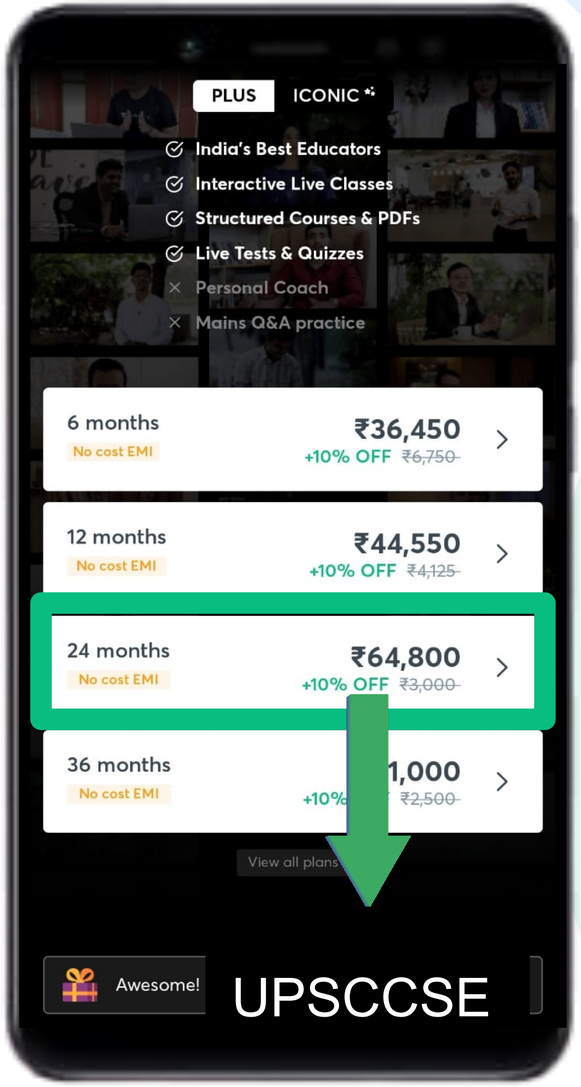

Subscribe now and Get 10% Extra Off. Apply Code - "CIVILHINDIPEDIA"

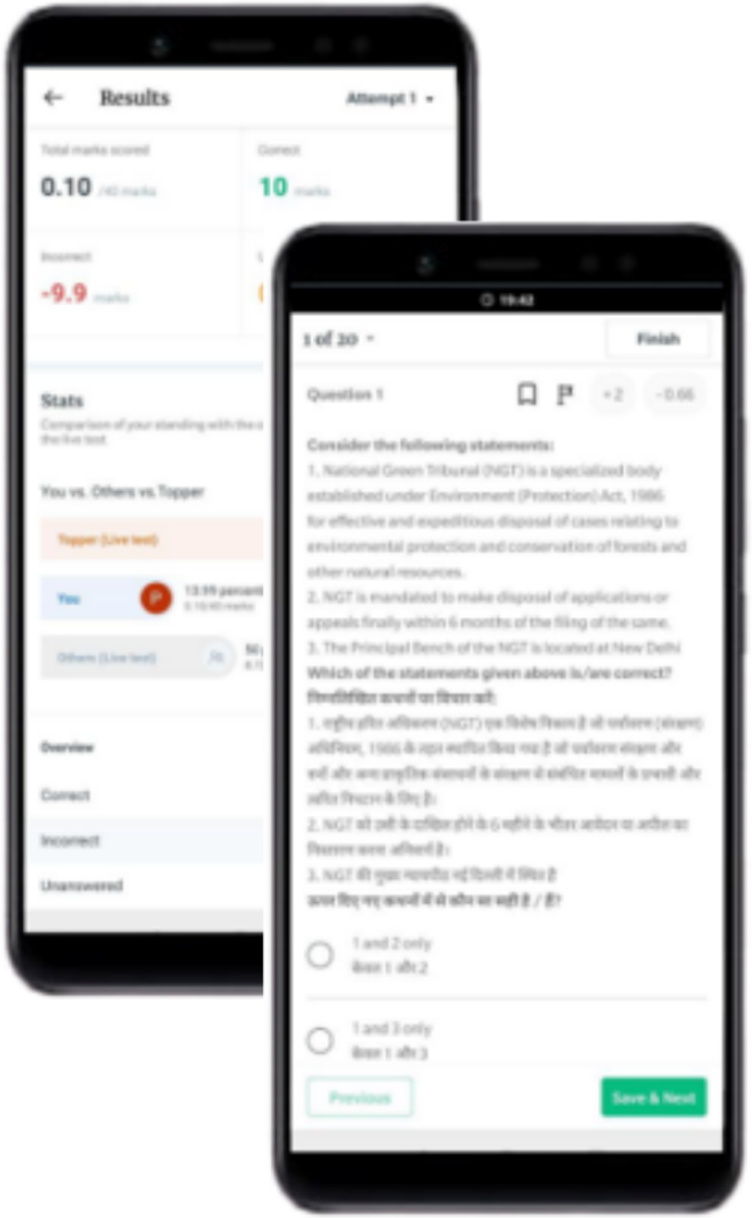

To unlock the Plus Experience for free and start learning from the best

- Free Special classes
- Free Tests series
- Free Live quizzes

Use code: CIVILHINDIPEDIA

समसामयिकी

विविध स्त्रोतों से

भारत ने चीन की ''वन बेल्ट, वन रोड''परियोजना का विरोध किया

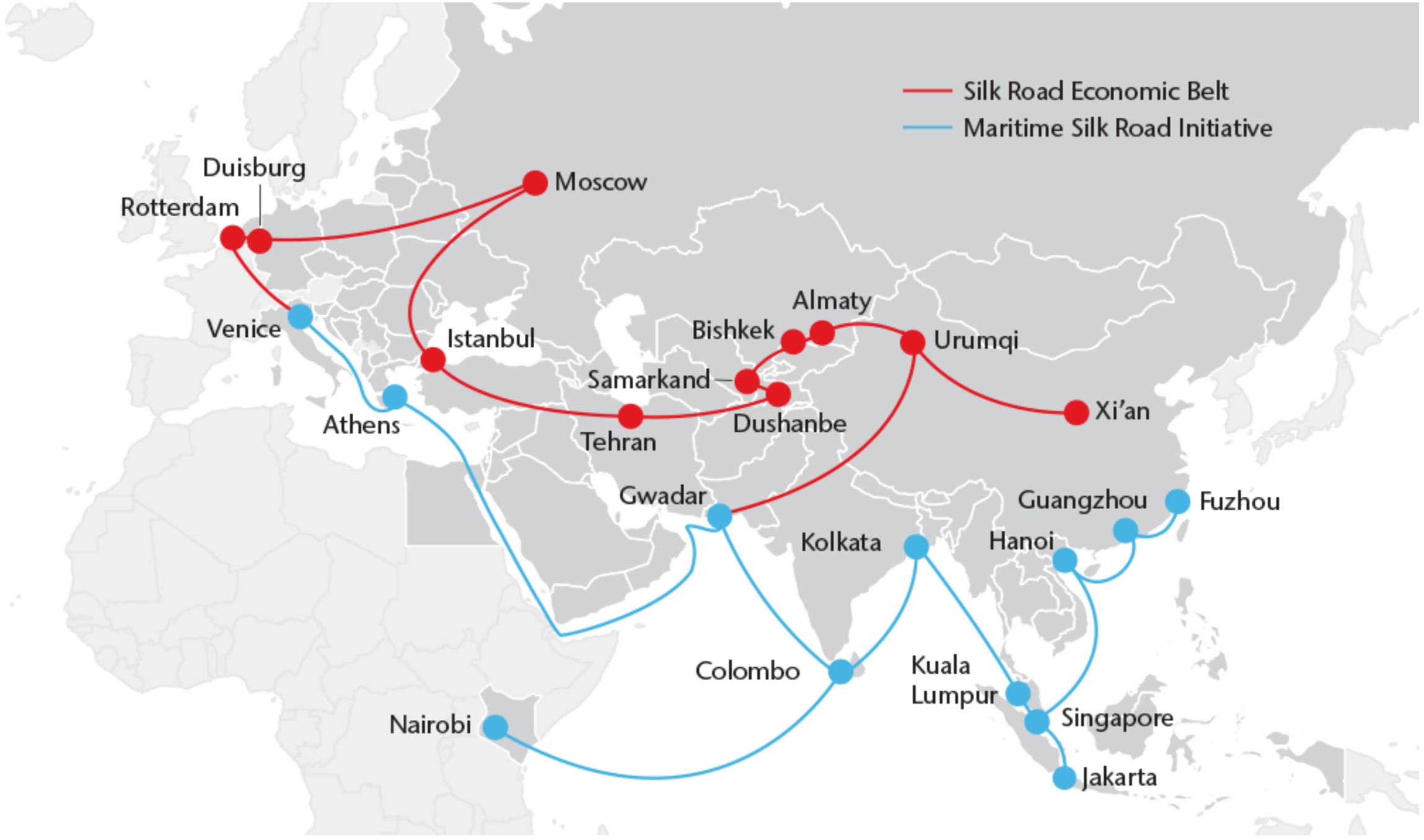
Silk Road Economic Belt
Maritime Silk Road Initiative
Duisburg
Rotterdam
Moscow
Venice
Istanbul
Almaty
Bishkek
Urumqi
Samarkand
Dushanbe
Xi'an
Athens
Tehran
Gwadar
Guangzhou
Fuzhou
Kolkata
Hanoi
Colombo
Kuala Lumpur
Singapore
Nairobi
Jakarta

- हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की हुई ऑनलाइन बैठक के दौरान भारत ने चीन की ''वन बेल्ट, वन रोड'' (One Belt One Road-OBOR) परियोजना का विरोध किया है।

- हाल ही में आयोजित हुई शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की ऑनलाइन बैठक में भारत को छोड़कर एससीओ के बाकी सभी सदस्य देशों ने एक बार फिर चीन की महत्वाकांक्षी ''वन बेल्ट, वन रोड'' परियोजना का समर्थन किया है।आठ सदस्यीय शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शासनाध्यक्षों की परिषद की 19वीं बैठक की एक संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया है कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने चीन की ''वन बेल्ट, वन रोड'' (One Belt One Road-OBOR) परियोजना के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की।

- ''वन बेल्ट, वन रोड'' (One Belt One Road-OBOR) परियोजना के माध्यम से चीन प्राचीन सिल्क मार्ग को पुनः विकसित कर रहा है।इसके महत्वपूर्ण परियोजना के जरिए चीन सड़कों, रेल, बंदरगाह, पाइपलाइनों और अन्य बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से मध्य एशिया से लेकर यूरोप और फिर अफ्रीका तक स्थलीय व समुद्री मार्ग तैयार कर रहा है।''वन बेल्ट, वन रोड'' परियोजना की शुरुआत चीन ने वर्ष 2013 में की थी। यह परियोजना चीन की विदेश नीति का एक हिस्सा है। इस परियोजना में एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देश बड़े देश शामिल हैं।

- चीन की इस परियोजना का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, गल्फ कंट्रीज़, अफ्रीका और यूरोप के देशों को सड़क और समुद्री रास्ते से जोड़ना है।चीन की यह योजना क़रीब दुनिया के 60 से अधिक देशों को सड़क, रेल और समुद्री रास्ते से जोड़ने का काम करेगी। चीन के मुताबिक़ उनकी इस परियोजना से दुनिया के अलग - अलग देश एक दूसरे के नज़दीक आएंगे जिससे आर्थिक सहयोग के साथ आपसी संपर्क को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी।चीन के मुताबिक़, इस परियोजना का मकसद आर्थिक है जिसके पूरा होने से विश्व का परिदृश्य बदल सकता है।

- भारत , ''वन बेल्ट, वन रोड'' (One Belt One Road-OBOR) परियोजना का विरोध चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के कारण करता है।लगभग 50 अरब डॉलर की लागत वाला चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) ओबीओआर परियोजना का हिस्सा है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है। इस परियोजना में पाकिस्तान में बंदरगाह, सड़कों, पाइपलाइन्स, दर्जनों फैक्ट्रियों और एयरपोर्ट जैसे कई अवसंरचनात्मक निर्माण शामिल है। इसके जरिए चीन, अरब सागर के ग्वादर बंदरगाह तक अपनी कनेक्टिविटी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।

- यह कॉरिडोर भारत के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जोकि संवैधानिक रूप से भारत का हिस्सा है। चीन ने इस गलियारे के विकास के लिए भारत से कोई इजाज़त नहीं ली है। विवादित पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर केवल पाकिस्तान इजाजत से किसी अंतराष्ट्रीय परियोजना का संचालन पीओके(PoK) पर पाकिस्तान के स्वामित्व और कश्मीर मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण का कारण बन सकता है जो भारत नहीं चाहता है।

- भारत , ''वन बेल्ट, वन रोड'' (One Belt One Road-OBOR) परियोजना का विरोध चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के कारण करता है।लगभग 50 अरब डॉलर की लागत वाला चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) ओबीओआर परियोजना का हिस्सा है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है। इस परियोजना में पाकिस्तान में बंदरगाह, सड़कों, पाइपलाइन्स, दर्जनों फैक्ट्रियों और एयरपोर्ट जैसे कई अवसंरचनात्मक निर्माण शामिल है।

- इसके जरिए चीन, अरब सागर के ग्वादर बंदरगाह तक अपनी कनेक्टिविटी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।यह कॉरिडोर भारत के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जोकि संवैधानिक रूप से भारत का हिस्सा है। चीन ने इस गलियारे के विकास के लिए भारत से कोई इजाज़त नहीं ली है।विवादित पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर केवल पाकिस्तान इजाजत से किसी अंतराष्ट्रीय परियोजना का संचालन पीओके(PoK) पर पाकिस्तान के स्वामित्व और कश्मीर मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण का कारण बन सकता है जो भारत नहीं चाहता है।

- सीपेक (CPEC) और ग्वादर के विकास के पीछे अपनी आपूर्ति लाइनों को सुरक्षित और छोटा करने के साथ-साथ हिंदमहासागर में उपस्थिति को मजबूत करने की चीनी योजना है। उल्लेखनीय है कि चीनी उपस्थिति हिंद महासागर में भारत के प्रभाव को कम कर सकती है।सीपेक (CPEC) रणनीतिक रूप से भारत को घेरने की योजना हो सकती है, क्योकि सीपेक (CPEC) चीन के लिए पूर्णतः मुक्त यातायात की सुविधा उपलब्ध करवाता है और किसी विषम परिस्थिति में भारत की पश्चिमी सीमा पर चीन अपने हथियारों और सेना के साथ पहुँच कर पंजाब और राजस्थान के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है।

- हालांकि चीन और पाकिस्तान दोनों की ओर से यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि ग्वादर बंदरगाह का उपयोग केवल आर्थिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। लेकिन भारत को यह चिंता है कि हिंद महासागर में अपना आधिपत्य सुनिश्चित करने के लिए चीन ग्वादर में एक नौसेना बेस स्थापित कर सकता है।

Kashgar
CHINA
POK
AFGHANISTAN
Islamabad
Gwadar-Kashgar
route
PAKISTAN
INDIA
Gwadar
Karachi

- भारत का यह भी कहना है कि चीन ''वन बेल्ट, वन रोड'' (One Belt One Road-OBOR) परियोजना के तहत हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के कई देशों को अपने ऋण जाल में फसा रहा है अर्थात इस योजना में पारदर्शिता कम है।
- 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यह संगठन अस्तित्व में आया था। 1996 में बना यह संगठन पहले 'शंघाई – 5' के नाम से जाना जाता था, जिसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान सदस्य देश शामिल थे।

- 2001 में इस संगठन का विस्तार हुआ और उजबेकिस्तान भी इस संगठन में शामिल हो गया। उजबेकिस्तान के इस संगठन में शामिल होने के बाद इसका नाम शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation-SCO) रखा गया।शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation-SCO), एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है।वर्तमान में इस संगठन में आठ सदस्य देश हैं, यथा- रूस, भारत, कजाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान हैं। भारत और पाकिस्तान को 2017 में शंघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020; भारत ने मलेरिया के मामलों को कम करने में प्रभावी सफलता हासिल की

Over the last 2 decades, malaria-affected countries have achieved remarkable success, but the fight is not over

7.6 MILLION

lives saved globally since 2000

94% of them in Africa

World Health Organization

#EndMalaria

- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 का कहना है कि भारत ने मलेरिया के मामलों में कमी लाने के काम में प्रभावी प्रगति की है। यह रिपोर्ट गणितीय अनुमानों के आधार पर दुनियां भर में मलेरिया के अनुमानित मामलों के बारे में आंकडे जारी करती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत इस बीमारी से प्रभवित वह अकेला देश है जहां 2018 के मुकाबले 2019 में इस बीमारी के मामलों में 17.6 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

- भारत ने साल 2000 (20,31,790 मामले और 932 मौतें) और 2019(3,38,494 मामले और 77 मौतें) के बीच मलेरिया के रोगियों की संख्या में 83.34 प्रतिशत की कमी और इस रोग से होने वाली मौतों के मामलों में 92 प्रतिशत की गिरावट लाने में सफलता हासिल की है और इस तरह सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों में से छठे लक्ष्य (वर्ष 2000से 2019 के बीच मलेरिया के मामलों में 50-75 प्रतिशत की गिरावट लाना)को हासिल कर लिया है।

- देश में मलेरिया उन्मूलन प्रयास 2015 में शुरू हुए थे और 2016 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन(एनएफएमई) की शुरुआत के बाद इनमें तेजी आई स्वास्थ्य मंत्रालय ने जुलाई 2017 में मलेरिया उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (2017 से 2022) की शुरुआत की जिसमें अगले पांच साल के लिए रणनीति तैयार की गई।

- भारत सरकार द्वारा सूक्ष्मदर्शी यंत्र उपलब्ध कराने के लिए किए गए प्रयासों तथा काफी लंबे समय तक टिकी रहने वाली मच्छरदानियों (एलएलआईएन) के वितरण के कारण पूर्वोत्तर के 7 राज्यों, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे मलेरिया से बहुत अधिक प्रभावित राज्यों में इस बीमारी के प्रसार में पर्याप्त कमी लाई जा सकी। इन राज्यों में 2018-19 के दौरान करीब पांच करोड़ एलएलआईएन मच्छरदानियां वितरित की गईं और मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान अभी तक 2.25 करोड़ मच्छरदानियां वितरित की जा चुकी हैं।

- इसके अतिरिक्त 2.52 करोड़ अतिरिक्त एलएलआईएन मच्छरदानियां की खरीद की जा रही है। इन एलएलआईएन मच्छरदानियों का इस्तेमाल लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर शुरू किए जाने के बाद मलेरिया के मामलों में देश भर में भारी गिरावट आई है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन में मलेरिया के अधिक जोखिम वाले 11 देशों में उच्च जोखिम और उच्च प्रभाव (एचबीएचआई) पहल शुरू की है। इनमें भारत भी शामिल है। इस पहल को पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश – इन चार राज्यों में जुलाई, 2019 को शुरू किया गया।

- इसमें प्रगति का पैमाना ‘उच्च जोखिम से उच्च प्रभाव’ तक जाना रखा गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन और आरबीएम की भागीदारी में मलेरिया उन्मूलन पहल काअसर भारत में काफी हद तक दिखाई पड़ा और वहां पिछले 2 साल में बीमारी के मामलों में 18 प्रतिशत और इससे होने वाली मौतों को मामले में 20 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
- मौजूदा आंकड़े और चित्र मलेरिया के मामलों में पिछले दो दशकों में आई स्पष्ट गिरावट को दर्शाते हैं। केन्द्र सरकार के इस दिशा में किए जा रहे रणनीतिक प्रयासों के चलते 2030 तक मलेरिया के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव दिखाई देता है।

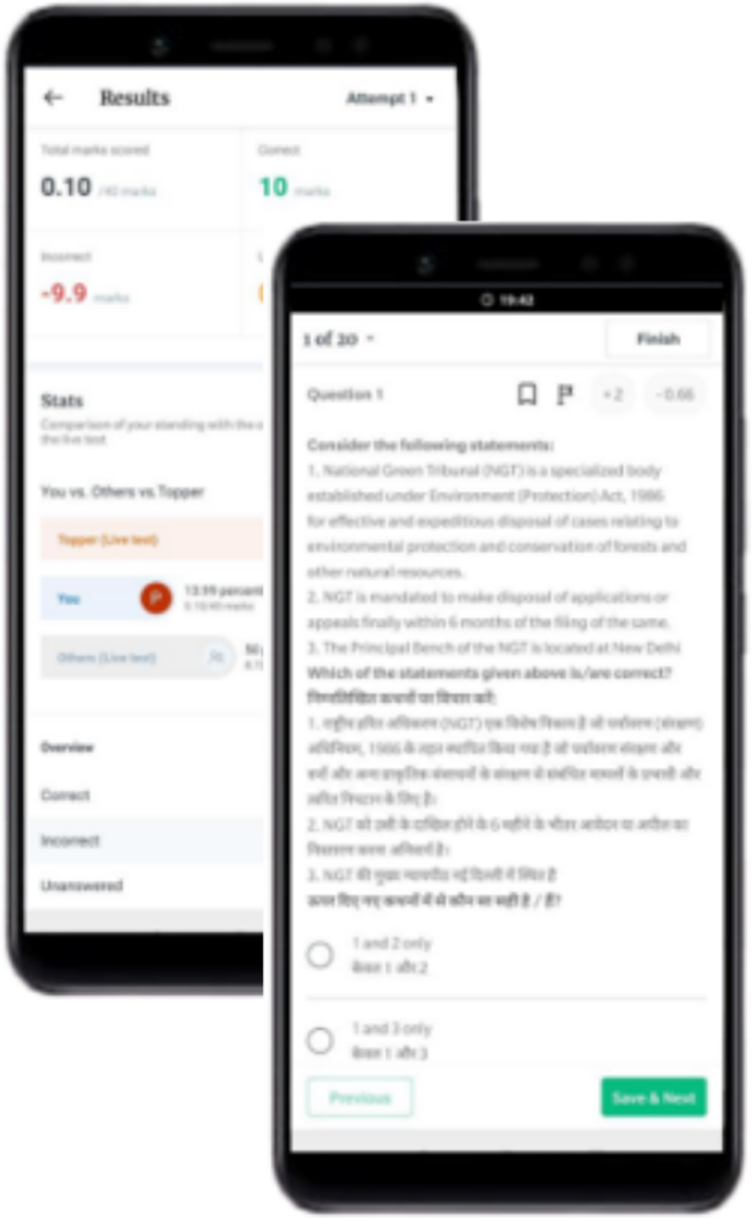

To unlock the Plus Experience for free and start learning from the best

- Free Special classes
- Free Tests series
- Free Live quizzes

Use code: CIVILHINDIPEDIA

unacademy

LET'S CRACK IT!

T20 Daily Current Affairs Test Series

November

Free test series for UPSC CSE

Free Learning Platforms

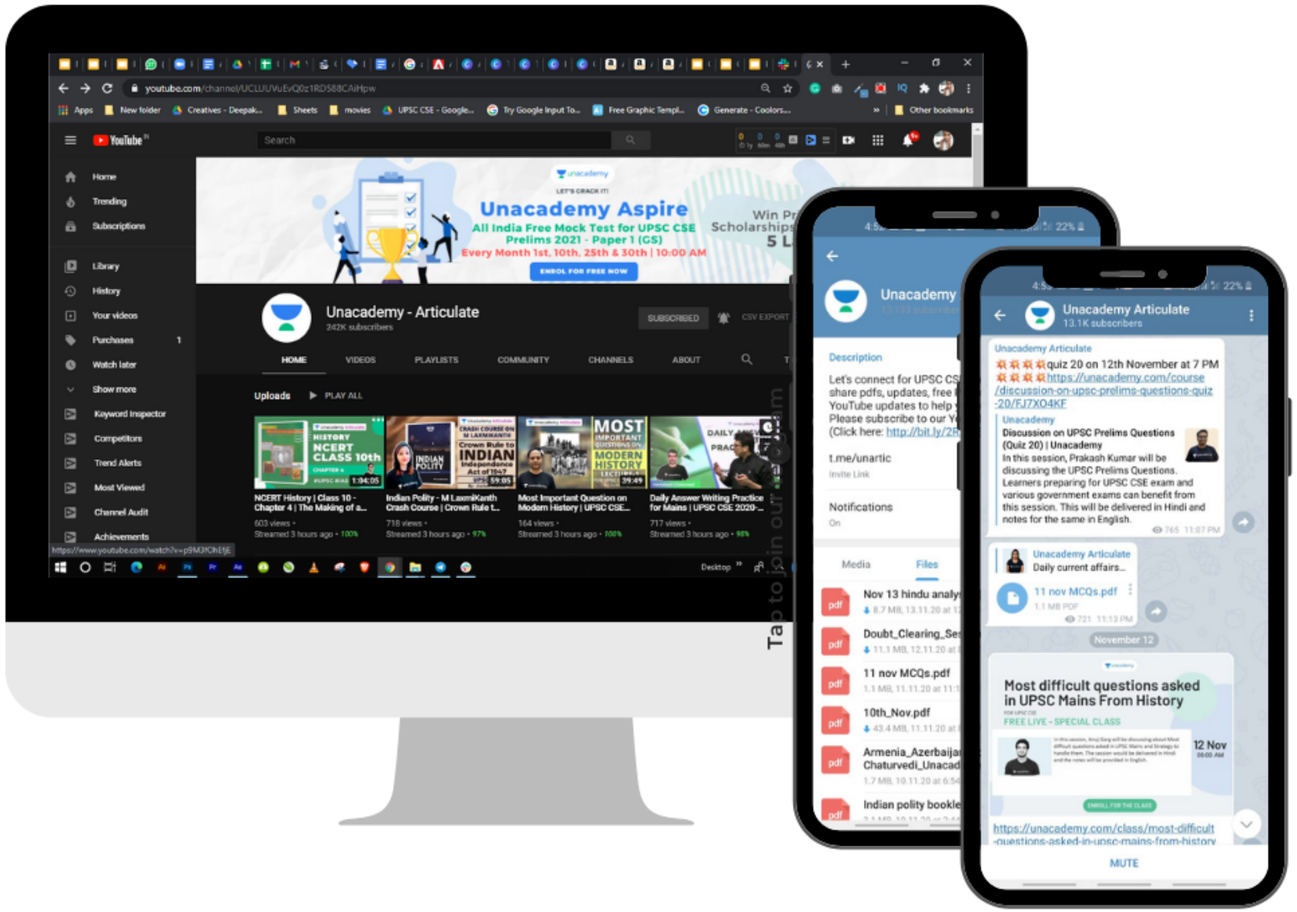

YouTube

Unacademy Articulate

- Free Live class
- Daily Current Affairs
- UPSC CSE special event notifications
- Book Summary

Telegram

Unacademy Articulate

- Free Live class notifications
- Free PDFs & study material
- Daily free Youtube session updates
- UPSC CSE special event notifications
- Free test series notifications

न्यूजीलैंड ने जलवायु परिवर्तन पर ‘प्रतीकात्मक आपातकाल’ की घोषणा की

- न्यूजीलैंड सरकार ने जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के घातक प्रभावों का आकलन करने के बाद देश में जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। न्यूजीलैंड के अधिकांश सांसदों ने जलवायु आपातकालीन घोषणा के पक्ष में मतदान किया, जबकि मुख्य विपक्षी दल नेशनल पार्टी ने इसके खिलाफ मतदान किया।

- 2019 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार जलवायु आपातकाल को एक ऐसी स्थिति में परिभाषित करता है जिसमें जलवायु परिवर्तन से होने वाले या संभावित पर्यावरणीय न्यूनतम क्षति को कम करने या रोकने के लिए तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि क्लाइमेट एमरजैंसी को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 2019 ने विश्व का दूसरा सबसे लोकप्रिय शब्द माना है।

- ग्रीनपीस न्यूजीलैंड के द्वारा न्यूजीलैंड सरकार से जलवायु आपातकाल घोषित करने की मांग की गई थी एवं इस क्लाइमेट एमरजैंसी के पीछे यह तर्क यह दिया गया था कि “वर्तमान में मानव मौसम की अत्यधिक चरम अवस्था, वन्य जीवन संपदा का क्षरण और स्वच्छ जल समेत भोजन तक पहुंच के संकट का सामना कर रहा हैं।”

- अपनी हरित गृह प्रभाव से जुड़ी प्रतिबद्धताओं के लिए पहचाने जाने वाली न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने अपने सांसदों के साथ न्यूजीलैंड में जलवायु आपातकाल की घोषित करके अपनी प्रतिबद्धता को वास्तविकता बना दिया।न्यूजीलैंड ने वादा किया है कि उसका सार्वजनिक क्षेत्र 2025 तक कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा।जलवायु आपातकाल की यह घोषणा जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) के आधार पर की गई है।

- आईपीसीसी के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक वृद्धि से बचने के लिए, उत्सर्जन को 2023 तक 2010 के स्तर से लगभग 45% कम होने किया जाना चाहिए। साथ 2050 तक उत्सर्जन को शून्य तक पहुंचने की भी आवश्यकता होगी।

- इस दौरान कोयला बॉयलरों को बदलने और इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने में मदद करने के लिए न्यूजीलैंड ने $200 मिलियन के फंड का प्रावधान किया है।अपने पिछले कार्यकाल में, अर्डर्न की सरकार ने एक शून्य कार्बन बिल पारित किया था, जिसमें 2050 तक कुल उत्सर्जन को शून्य करने की रूपरेखा तय की गयी थी।जलवायु आपातकाल के पारित होने के साथ न्यूजीलैंड कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन सहित 32 देशों के समूह में शामिल हो गया, जिन्होंने जलवायु आपातकाल की घोषणा करके जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समान कदम उठाए हैं।

- हाल ही में जापानी सांसदों ने भी एक जलवायु आपातकाल की घोषणा की है और कुल शून्य उत्सर्जन के संदर्भ में दृढ़ समय सारिणी के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है।ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा और फ्रांस सभी ने जलवायु संकट की घोषणा की है। ब्रिटेन जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश था, उसके बाद स्कॉटलैंड और वेल्स द्वारा ऐसी ही घोषणा की गयी थी।

- यूके का वर्तमान लक्ष्य 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को 80% (1990 के स्तर की तुलना में) कम करना है।स्कॉटलैंड में भी जलवायु परिवर्तन आपातकाल घोषित किया जा चुका है और इस देश ने 2045 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को शून्य से कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं।यूरोपीय संघ के सांसदों ने भी पिछले साल "जलवायु आपातकाल" घोषित किया था। 28-राष्ट्रों का यूरोपीय संघ जलवायु आपातकाल आह्वान करने वाला पहला बहुपक्षीय संगठन है।इसके अलावा अर्जेंटीना और कनाडा जैसे देशों से लेकर न्यूयॉर्क और सिडनी जैसे अलग-अलग शहरों ने भी जलवायु आपातकाल का आह्वान किया है।

आकाशवाणी सार

ये आकाशवाणी है....

- गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कोविड -19 के सुरक्षा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर दंड के रूप में सामुदायिक सेवा की नीति बनाने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की खंडपीठ ने आज एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किया।

- गुजरात उच्च न्यायालय ने आज अनिवार्य मास्क और सामाजिक दूर के मानदंडों का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कारवाई के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए। अदालत के निर्देशों के अनुसार कोविड के नियमों के उल्लंघन करने वाले ऐसे लोगों के लिए कोविड देखभाल केंद्रों में गैर-चिकित्सा सामुदायिक सेवा आवश्यक बनाई जाए। ऐसे लोगों को 5 से 15 दिनों की अवधि के लिए प्रति दिन 4 से 6 घंटे सामुदायिक सेवा की सजा देने की सिफारिश की है। यह सजा कोविड19 सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन के लिए लगाए गए नकद जुर्माने के साथ अतिरिक्त रहेगी। उच्च न्यायालय के अनुसार अनिवार्य मास्क के नियम को कड़ाई से लागू करने से ही कोविड 19 जैसी महामारी के प्रसार को रोक जा सकता है।***

- कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा ने कचरे से चलने वाले 11 दशमलव पांच मेगावाट की क्षमता के बिजली संयंत्र की आधारशिला रखी। राज्य में यह पहला बिजली संयंत्र होगा जो नगरपालिका के छह सौ टन कचरे को 11 दशमलव पांच मेगावाट ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम होगा। यह बिजली संयंत्र मौजूदा पावर ग्रिड में आठ करोड छह लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा।

- बेंगलुरु में हर दिन 5000 मैट्रिक टन कूड़ा जमा होता है। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका और कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन मिलकर कूड़े से बिजली तैयार करने की योजना में शामिल हैं। भारत सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत 35 प्रतिशत इंसेंटिव देती है। मुख्यमंत्री जी ने जानकारी दी है कि 260 करोड़ लागत में योजना 2022 तक तैयार होगी। इसके आरंभ होने से नगर पालिका कूड़ा साफ करने के खर्च में हर साल 14 करोड़ रुपये बचा पाएगी। इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होगा और भूजल खराब नहीं होगा।***

- भारत और रूस ने मास्को में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे और हाल के घटनाक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा की। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।
- रूस ने 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी सदस्य बनने का स्वागत किया। ***

Subscribe to Unacademy Plus

For 10% OFF Use Code

CIVILHINDIPEDIA

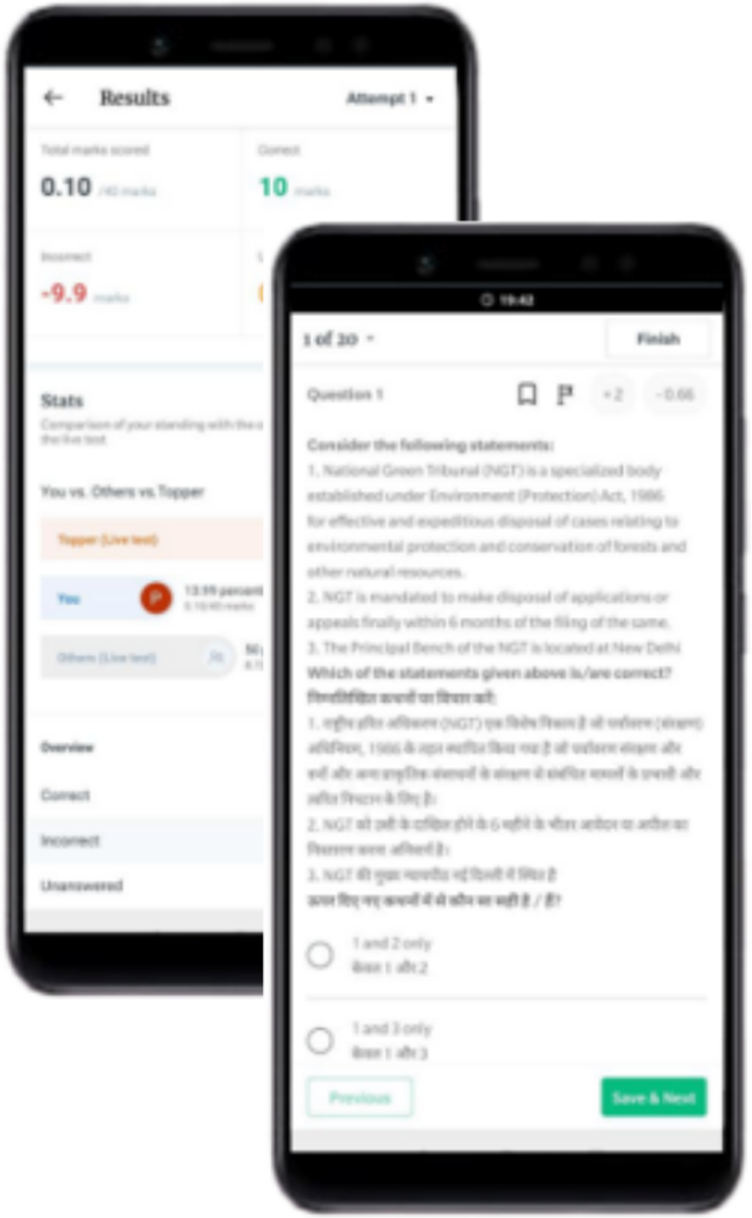

To unlock the Plus Experience for free and start learning from the best

- Free Special classes
- Free Tests series
- Free Live quizzes

Use code: CIVILHINDIPEDIA

Plus UPSC CSE Subscription

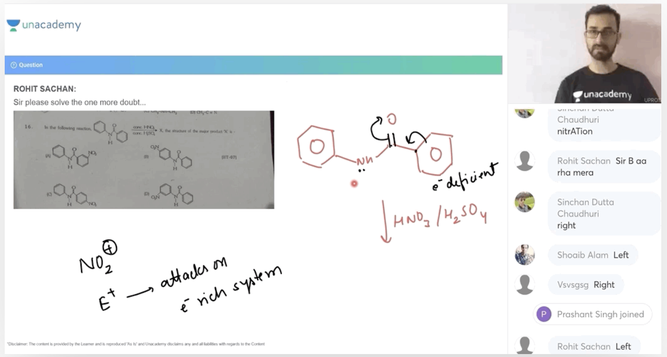

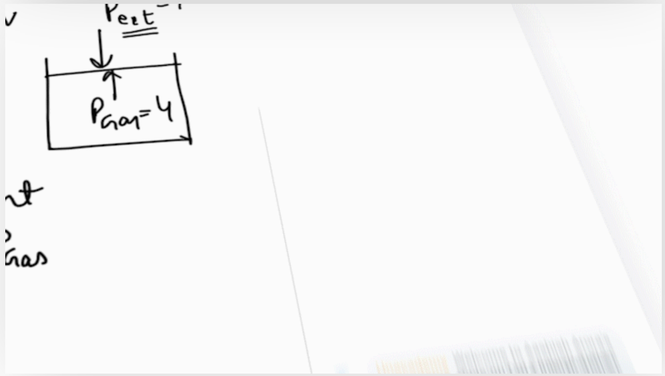

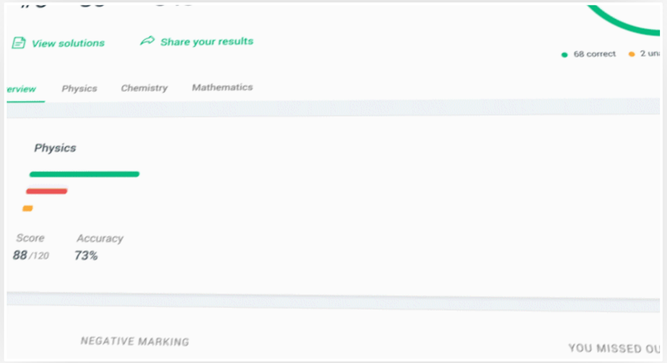

- LIVE Class Environment
- LIVE Polls & Leaderboard
- LIVE Doubt Solving
- LIVE Interaction

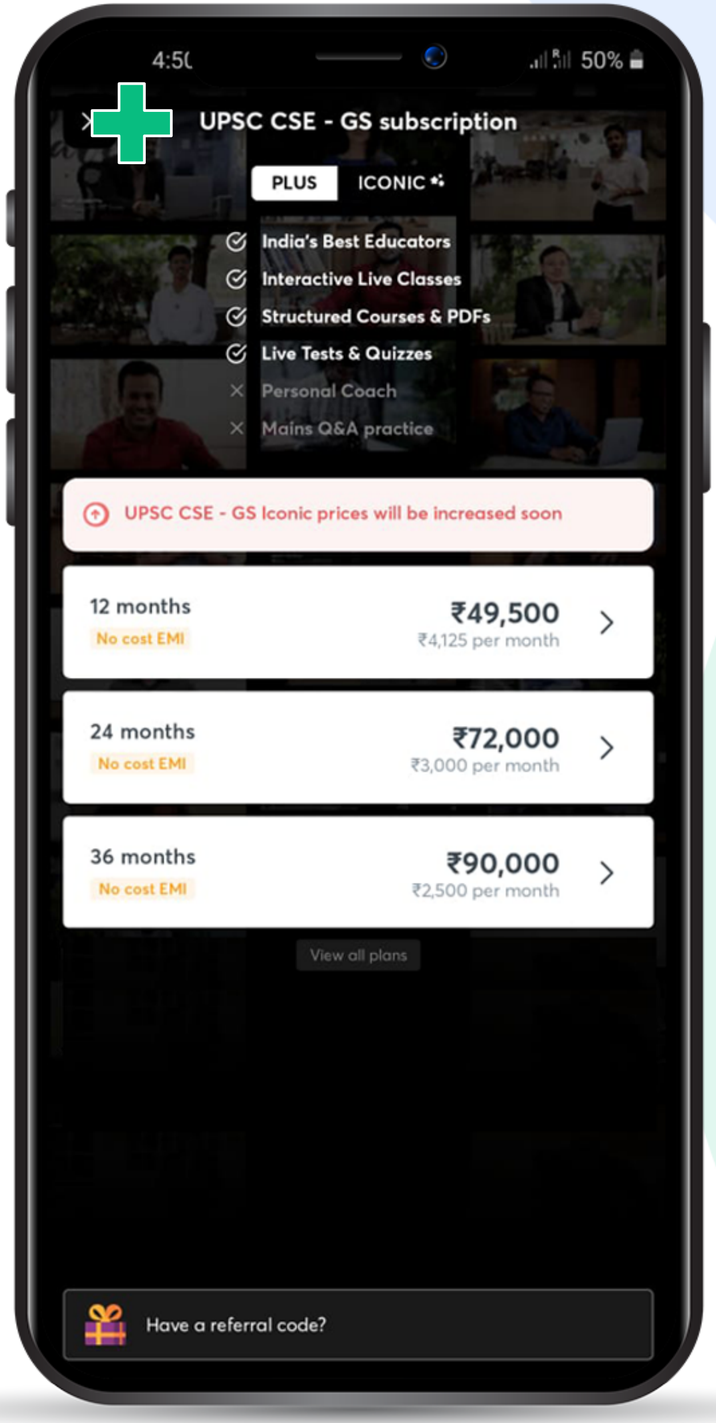

Iconic UPSC CSE Subscription

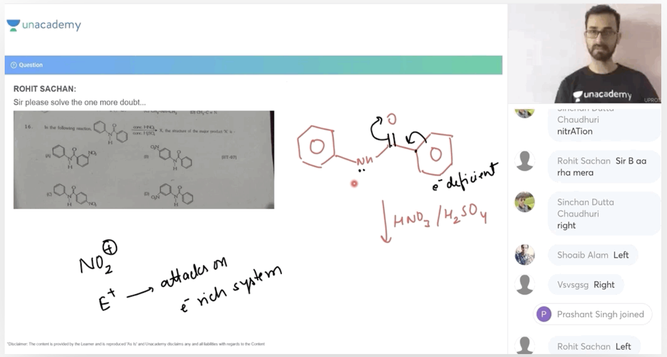

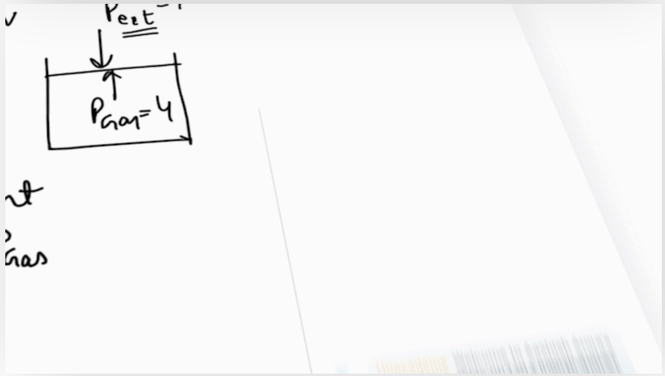

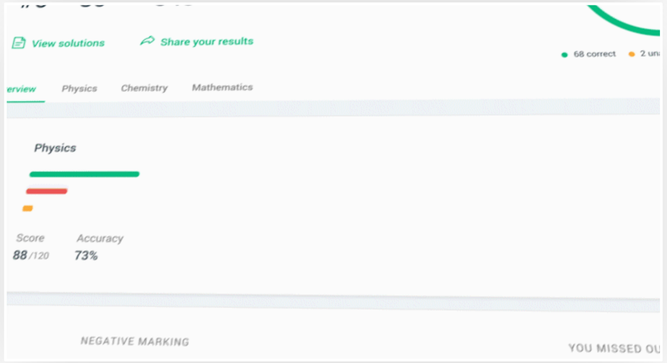

- Personal Coach
- LIVE Class Environment
- LIVE Polls & Leaderboard
- LIVE Doubt Solving
- LIVE Interaction

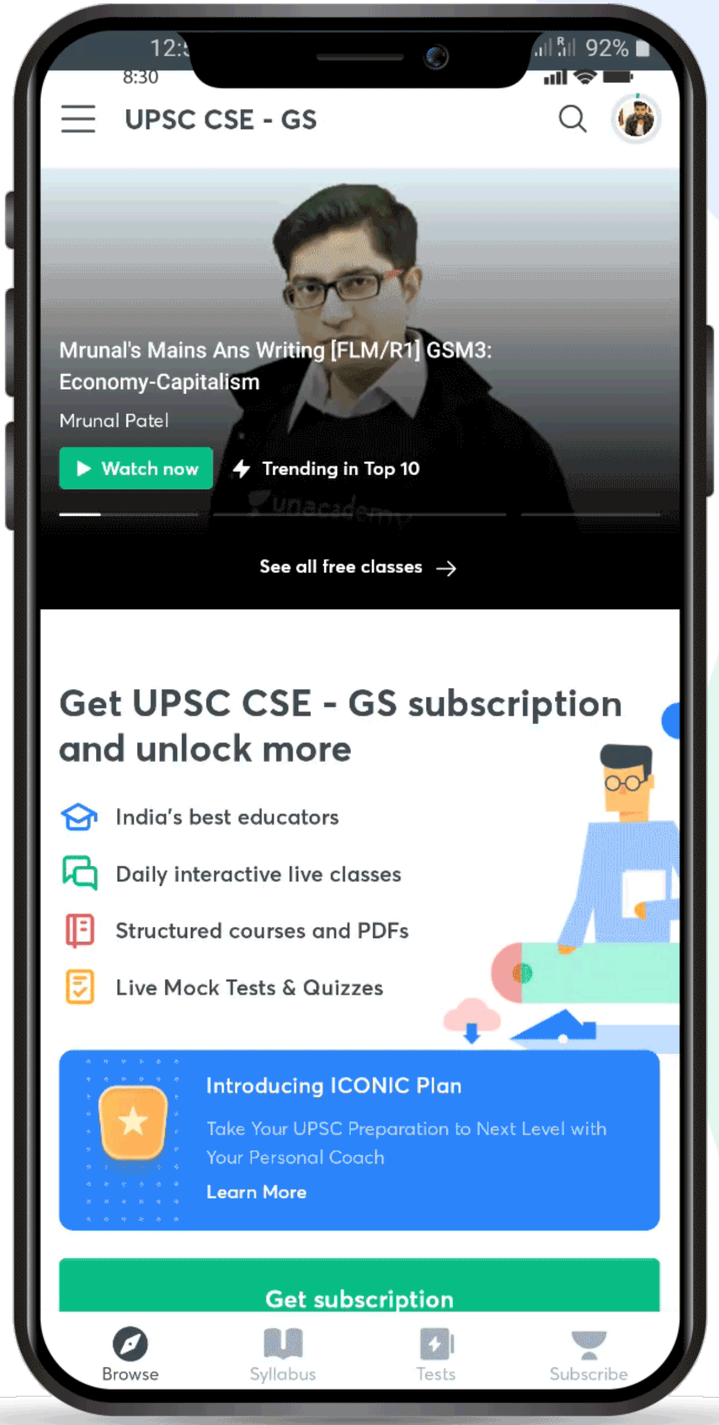

For a massive 10% Discount

Use Code **CIVILHINDIPEDIA**

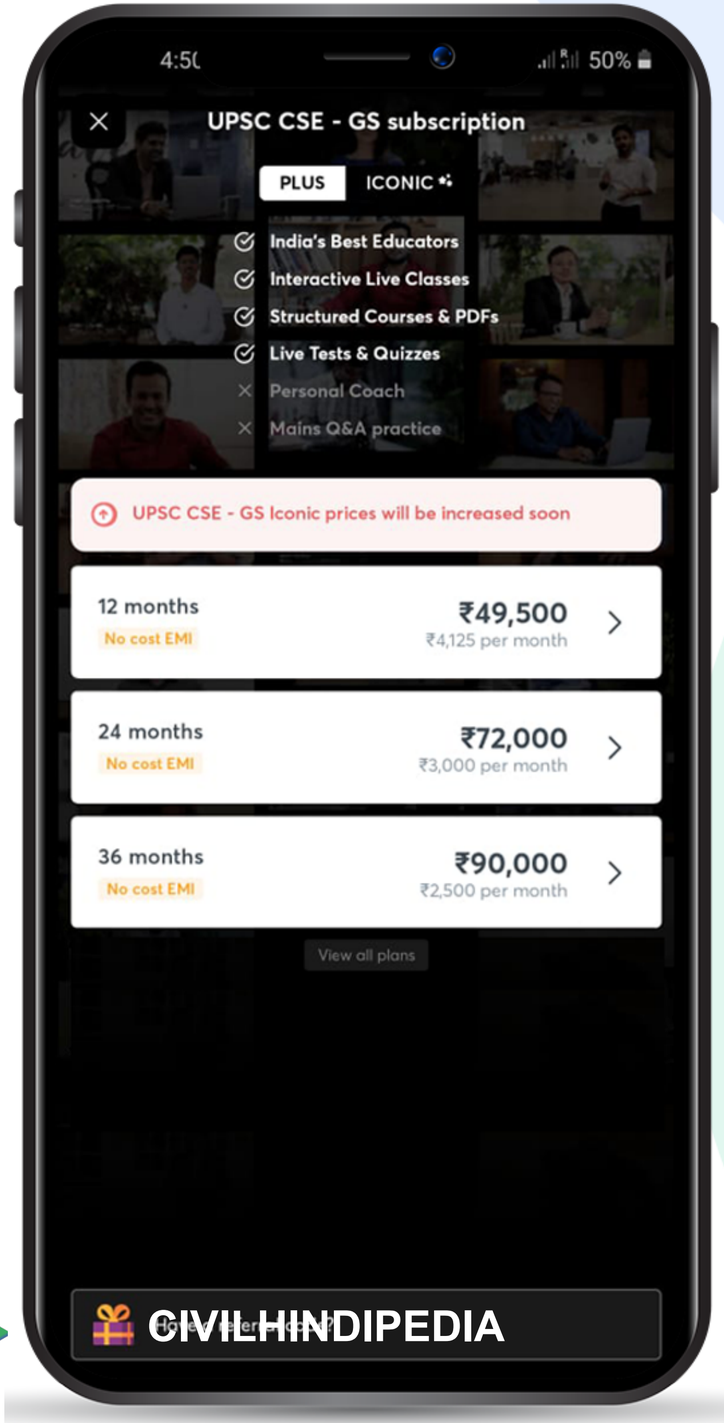

CIVILHINDIPEDIA

Thank You